फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रतनलाल बनाम काल्या वगै0

किस्म मुकदमा– दावा

मु0नं0– 35/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.4.23	पत्रावली कैम्प कोर्ट सिकराय में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट श्री छोटेलाल मीना द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया। जिस पर उभयपक्षों को सुना गया। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके रामा सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1616, 1627, 1811, 1812, 1769, 2713, 1617, 2393, 2395, 1628 वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मृतक पूर्वज ग्यारस्या पुत्र रामनारायण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। पक्षकारान के पूर्वज रामनारायण के दो पुत्र थे हीरालाल एवं ग्यारस्या जिसमें से ग्यारस्या पुत्र रामनारायण नाऔलादा फौत हो चुका है। हीरालाल के दो पुत्र नाथुलाल एवं काल्या ही विधिक वारिसान है। नाथुलाल भी फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान वादीगण है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि मृतक ग्यारस्या पुत्र रामनारायण की खातेदारी भूमि में हम पक्षकारान का हिस्सा 1/2 के हकदार है। साथ ही राजीनामे में कथन अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी मृतक ग्यारस्या की खातेदारी में हिस्सा 1/2 के कानुनी एवं विधिक वारिस होने के हकदार है। इसलिए वादपत्र को राजीनामे के आधार पर डिक्री किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किए जाने योग्य है। अतः पक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाके रामा सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1616, 1627, 1811, 1812, 1769, 2713, 1617, 2393, 2395, 1628 में ग्यारस्या पुत्र रामनारायण के नाम दर्ज भूमि में से हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है एवं शेष हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार काल्या पुत्र हीरालाल रहेगा। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज राहिन बदस्तूर जारी रहेगा। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	